फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामस्वरूप बनाम गीता वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : 174/2023

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपल्ब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थन पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चक चेनपुरावास साइवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी के पूर्व नक्शानुसार नवीन नक्शा में खसरा नम्बर 61 के स्थान पर 66 स्थापित करते हुये एवं हाल जमाबन्दी में ग्राम कुशलपुरा के स्थान पर ग्राम चक चेनपुरावास साइवाड किया जाकर वर्तमान नक्शा व जमाबन्दी ग्राम कुशलपुरा संवत 2076–79 के खसरा नम्बर 66 रकबा 0.3200है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.5400है0 को पूर्व नक्शा व पूर्व जमाबन्दी ग्राम चक चेनपुरावास साइवाड संवत 2072–75 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.3200है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.5400है0 के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि संवत 2072–2075 के बाद जब राजस्व नक्शा ऑनलाईन किया जा रहा था तब ग्राम चक चेनपुरावास साइवाड एवं कुशलपुरा की सीमा मिलान नही हो रही थी तब वन टू वन कार्यवाही के दौरान की गई कार्यवाही है। जो राजस्व कर्मियों द्वारा श्रीमान तहसीलदार के आदेश से की गई थी। जिस कारण उक्त खसरा नक्शें को ग्राम चक चैनपुरावास साइवाड से कुशलपुरा में शामिल कर दिया जो एक प्रशासनिक कार्य है तथा अगर न्यायालय फिर भी त्रुटि मानता है तो उक्त त्रुटि सही करते समय प्रार्थीगण का नक्शा दुरूस्त करते समय अप्रार्थी/जवाबदाता के खसरा नम्बर 61 के नक्शें की पूर्व स्थिति बहाल की जाती है तो अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नही है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि उक्त कार्य 1–2–1 मैपिंग के दौरान श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश से किया गया है व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	